



मध्यप्रदेश राज्यपाल

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 223]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 8 अगस्त 2024—श्रावण 17, शक 1946

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2024

क्र. एफ ए 3-36-2018-1-पांच (15).— मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 52 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ए 3-36-2018-1-पांच (90), दिनांक 29 सितम्बर 2018, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, "आधे प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "0.25 प्रतिशत" शब्द और अंक रखे जाएंगे.

2. यह अधिसूचना 10 जुलाई 2024 से प्रवृत्त मानी जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वंदना शर्मा, उपसचिव,

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2024

क्र. एफ ए 3-36-2018-1-पांच.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए 3-36-2018-1-पांच (15), दिनांक 8 अगस्त 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वंदना शर्मा, उपसचिव,

Bhopal, the 8th August 2024

No. FA 3-36-2018-1-V(15).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 52 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in this department's notification No. FA 3-36-2018-1-V (90), dated, 29th September 2018, namely:—

In the said notification, for the words "half per cent.", the figure and word "0.25 percent." shall be substituted.

2. This notification shall be deemed to have come into effect from the 10th July 2024.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VANDANA SHARMA, Dy. Secy.